[2018] 2 एससीआर 661

शाजहां

बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक

आपराधिक अपील संख्या 697-98 वर्ष 2012)

6 फरवरी, 2018

[रंजन गोगोई व आर भानुमति, माननीय न्यायमूर्तिगण]

दण्ड संहिता, 1860 - धारा 396 सहपठित धारा 34 - हत्या के साथ डकैती - पांच आरोपी - अभियोजन साक्ष्य 1 की दुकान में डकैती - मृतक दुकान के अंदर सो रहा था - अभियुक्त 2 ने मृतक के पैर पकड़े, जबकि अभियुक्त 4 ने उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी - विचारण न्यायालय ने सभी पांच आरोपियों को अन्य बातों के साथ-साथ धारा 396 सहपठित 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया और उन्हें दस वर्षों के कारावास की दण्ड सुनाई- उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को उचित ठहराते हुए दण्ड को 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास में बदल दिया- निर्धारित किया: डकैती के दौरान यदि कोई डकैत हत्या करता है, तो उसके सभी साथी जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हैं, धारा 396 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, हालांकि डकैती में भागीदारी के तथ्य से परे हत्या में उनकी कोई भागीदारी नहीं हो सकती है - धारा 396 के अंतर्गत अपराध को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। विशेष रूप से, जब डकैत हथियारों से लैस होते हैं, हालांकि, वर्तमान मामले में, अभियुक्त हथियारों से लैस नहीं थे - समय की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि घटना वर्ष 2002 की थी और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, धारा 396 के अंतर्गत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है, लेकिन अभियुक्त 1, अभियुक्त 2 और अभियुक्त 4 पर लगाए गए आजीवन कारावास की दण्ड को दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। जैसा कि विचारण न्यायालय ने निर्देश दिया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 के अंतर्गत धारा 302 के अंतर्गत दण्ड देना - न्यायालय के पास निहित विवेकाधिकार - कार्यक्षेत्र - माना जाता है: दण्ड देने के मामले में न्यायालय का दायित्व - "मौत या आजीवन कारावास" धारा 302 और 396 दोनों के लिए समान क्रम में है - हालांकि धारा 396 के अंतर्गत अपराध को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, इसके अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए न्यायालय के पास बड़ा विवेकाधिकार निहित है क्योंकि इसके लिए मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से कम दण्ड अधिरोपित करने की संभावना है- दण्ड संहिता, 1860 - धारा 302, धारा 396 सहपठित धारा 34.

आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

कहा: 1.1 धारा 396 भादवि हत्या के साथ डकैती के लिए दण्ड निर्धारित करती है। डकैती के दौरान, यदि कोई डकैत हत्या करता है, तो उसके सभी साथी जो डकैती कर रहे हैं, धारा 396 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, हालांकि डकैती में भागीदारी के तथ्य से परे उनकी हत्या में कोई भागीदारी नहीं हो सकती है। दण्ड देने के मामले में न्यायालय का दायित्व - "मृत्यु या आजीवन कारावास" धारा 302 भादवि और 396 भादवि दोनों के लिए समान क्रम में है। यद्यपि धारा 396 के अंतर्गत अपराध को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, धारा 396 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए, न्यायालय के पास बड़ा विवेक निहित है क्योंकि मृत्यु या आजीवन कारावास से कम दण्ड देने की संभावना है। [पैरा 9]

1.2 धारा 396 के अंतर्गत अपराध को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, खासकर जब डकैत सशस्त्र हों। लेकिन मामले में आरोपियों के पास हथियार नहीं थे। आरोपी अभियुक्त 4 पर आरोप है कि उसने मृतक के पास बैठकर उसकी नाक और मुंह दबाया और कथित तौर पर उसकी गर्दन को रस्सी से कस दिया। यह घटना वर्ष 2002 की है। लंबे समय बीत जाने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आजीवन कारावास के दण्ड को विचारण न्यायालय के निर्देशानुसार दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। धारा 396 के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, अपीलकर्ताओं-अभियुक्त 1, अभियुक्त 2 और अभियुक्त 4 पर अधिरोपित कारावास के दण्ड को दस वर्ष के कारावास में संशोधित किया जाता है। चूँकि अपीलकर्ताओं द्वारा दस वर्ष से अधिक समय तक अभिरक्षा में बिताया गया है, इसलिए उन्हें किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर तुरंत अवमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। [पैरा 10, 11]

दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य **(2006) 3 एससीसी 771: [2006] 2 एससीआर 793 - संदर्भित।**

<u>वाद विधि संदर्भ</u>

[2006] 2 एससीआर 793	**संदर्भित**	**पैरा 10**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 697-698 वर्ष 2012

आपराधिक अपील संख्या क्रमशः 69 और 1094 वर्ष 2006 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.09.2010

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 481 वर्ष 2015।

अपीलकर्ता की ओर से अमित कुमार, आर. बालासुब्रमण्यम, बी. करुणाकरण, एस. गौतमन, के. जी. कृष्णराज, एस. शांताकुमारी, अधिवक्तागण।

प्रतिवादी की ओर से एम. योगेश कन्ना, श्रीमती सुजाता बगधी, अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति आर. भानुमति द्वारा प्रदत्त

प्रस्तुत अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की आपराधिक अपील संख्या 69, 1096 और 1097 में पारित सामान्य निर्णय से उत्पन्न हैं, जिसमें राज्य द्वारा की गई अपील को स्वीकृत किया गया, जिससे भादवि की धारा 396 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए कारावास का दण्ड दस वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया था।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षेप में बताया गया मामला यह है कि 13/14.11.2002 की मध्यांतर वाली रात लगभग 01.30 बजे, अपीलकर्ताओं ने बशीर (अभियुक्त 1), शाजहां (अभियुक्त 2) और बाबू @ नवाब साहिब (अभियुक्त 4) के साथ दो अन्य आरोपियों राजा मोहम्मद (अभियुक्त 3) और बालू @ बालासुब्रमण्यम (अभियुक्त 5) को अभियोजन साक्षी -1 मुथैया के स्वामित्व वाली पेरी के नाम से साहूकारी ब्रोकिंग की दुकान में डकैती करने के सामान्य इरादे से आरोपी बनाया। लूट की वारदात को अंजाम देने के दौरान शाजहां (अभियुक्त 2) पर आरोप है कि उसने दुकान के अंदर सो रहे मृतक मुथुकृष्णन के पैरों को कसकर पकड़ लिया और बाबू @ नवाब साहब (अभियुक्त 4) ने कथित तौर पर उसकी छाती पर बैठकर

उसकी गर्दन को संकुचित कर दिया और मुथुकृष्णन के गले में जूट की रस्सी बांध दी और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अन्य आरोपियों ने करीब 4.788 किलोग्राम सोने के व 5.595 किलोग्राम चांदी के आभूषण लूट लिए जिसकी कुल कीमत लगभग 12,00,000/- रुपये है। दिनांक 13-11-2002 को सुबह लगभग 0530 बजे साहूकारी दुकान में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत चेल्लम-अभियोजन साक्षी-4 अभियोजन साक्षी-1 के घर आया और उसे सूचित किया कि मुथुकृष्णन अपनी दुकान में मृत पाए गए हैं। अभियोजन साक्षी -1 ने मंधाराकुप्पम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर, पुलिस ने 2002 के अपराध संख्या 257 में धारा 457, 380 और 302 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया था। अभियोजन साक्षी-37-थाने के भारसाधक अधिकारी ने अन्वेषण किया। दिनांक 06-02-2003 को लगभग 11:00 बजे सायं राजा मोहम्मद (अभियोजन 3) को पनरुट्टी बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया गया और वासन-अभियोजन साक्षी-15 की उपस्थिति में उसका स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर राजा मोहम्मद (अभियुक्त 3) से 46,000/- रुपये की राशि बरामद की गई। आरोपी राजा मोहम्मद के स्वीकारोक्ति बयान से नूरूदीन के पास से तीस जोड़ी चांदी की पायल, सोने का हार और चेन बरामद हुई, जिसकी पहचान आरोपी राजा मोहम्मद ने प्रदर्श 21 के अंतर्गत की थी। आरोपी राजा मोहम्मद के स्वीकारोक्ति बयान से कल्लाकुरिची में केवीएम ज्वैलरी से चांदी की पायल, सोने की अंगूठियां, हार और गहने की पूरी तरह से बारह वस्तुएं बरामद की गईं। आरोपी राजा मोहम्मद के स्वीकारोक्ति बयान में वृद्धाचलम के पुडुपेट स्थित उसके घर से 17 जोड़ी चांदी की पायल, 20 जोड़ी चांदी की पट्टादाई पायल और सोने की चेन बरामद की गई।

3. आरोपी राजा मोहम्मद पुलिस और अभियोजन साक्षी-15 को अलीचकुडी गांव ले गया और उसके द्वारा पहचाने जाने पर बाबू @ नवाब साहब (अभियुक्त 4) को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बाबू @ नवाब साहब के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर, प्रदर्श 28 के अंतर्गत उसकी मां की बहन के घर से गहने के सत्रह वस्तुएं बरामद किए गए थे। बाबू @ नवाब साहब (अभियुक्त 4) के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर, पुलिस मुम्बई गई जहां उसके चाचा के घर से और पंचसील ज्वैलरी नामक एक आभूषण की दुकान से गहने के सामान बरामद किए गए।

4. दिनाँक 06.02.2003 को तड़के लगभग 01.30 बजे अपीलकर्ता बशीर (अभियुक्त 1) और शाजहां (अभियुक्त 2) टीवीएस -50 मोटर साइकिल पर आगे बढ़ रहे थे और पुलिस द्वारा रोके जाने पर, अपीलकर्ता भागने लगे और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। आरोपी बशीर और शाजहां के स्वीकारोक्ति बयानों के आधार पर उक्त टीवीएस-50 वाहन के पेट्रोल टैंक पर कवर में रखे गहने पुलिस ने बरामद किए। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर अभियोजन साक्षी-37 ने बालू @ बालासुब्रमण्यम (अभियुक्त 5) को दिनांक 08-02-2003 को सुबह लगभग 0400 बजे मेयापालयूर गांव में उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया। उसके इकबालिया बयान से चिदंबरम में एक आभूषण की दुकान से सोने के गहने बरामद हुए थे। आरोपी बालू @ बालासुब्रमण्यम के स्वीकारोक्ति बयान से उसके घर (प्रदर्श 33) से सोने के गहने बरामद हुए। जांच पूरी होने पर आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 457, 395, 396 और 302 के साथ 34 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. विचारण न्यायालय में, अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी -1-साहूकारी दुकान के मालिक सहित अन्य सैंतीस गवाहों से पूछताछ की है, जिसमें अभियोजन साक्षी -2 और अभियोजन साक्षी -3, अभियोजन साक्षी -1 साहूकारी दुकान के मालिक के अंतर्गत काम करते हैं। साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने सभी पांच आरोपियों को अन्य बातों के साथ-साथ भादवि की धारा 396 और धारा 34 भादवि के अंतर्गत दोषी ठहराया और उन्हें दस वर्ष के कठोर

कारावास का दण्ड दिया। विचारण न्यायालय ने माना कि भादवि की धारा 396 के अंतर्गत आरोपी की दोषसिद्धि के दृष्टिगत, धारा 302 भादवि के अंतर्गत आरोपी की दोषसिद्धि आवश्यक नहीं थी।

6. दोषसिद्धि से व्यथित होकर आरोपी शाहजहां और राजा मोहम्मद ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जो खारिज हो गई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए राज्य द्वारा योजित अपील में उच्च न्यायालय ने कारावास के दण्ड को दस वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया। उच्च न्यायालय ने भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आरोपी की दोषसिद्धि के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया।

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और पत्रवाली पर उपस्थित सामग्रियों का अवलोकन किया।

8. आरोपी राजा मोहम्मद और बाबू @ नवाब साहिब के विरुद्ध अभियोजन साक्षी -15 और अभियोजन साक्षी -17 के साक्ष्यों द्वारा डकैती में सम्मिलित होने और गहने की विभिन्न वस्तुओं की बरामदगी के बारे में स्पष्ट और ठोस सबूत हैं। आरोपियों के पास से बरामद गहनों की पहचान साहूकारी दुकान (अभियोजन साक्षी-1) के मालिक और अभियोजन साक्षी 7 से 14 के मालिकों ने की है, जिन्होंने अभियोजन साक्षी-1 के साथ गहने गिरवी रखे थे। अभियोजन साक्षी -1 के साक्ष्य को उनकी साहूकारी दुकान में रखे गए रजिस्टरों द्वारा और अधिक पुष्टि की जाती है ताकि यह दिखाया जा सके कि गहने की वे वस्तुएं उनकी साहूकारी दुकान में गिरवी रखी गई थीं। अपीलकर्ताओं राजा मोहम्मद और बाबू @ नवाब साहिब को भादवि की धारा 396 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना अकाट्य है।

9. आरोपी बशीर और शाजहां को अभियोजन साक्षी-21-अनबलगन और अभियोजन साक्षी-22-विजयरंगन की उपस्थति में गिरफ्तार किया गया, जो आंशिक रूप से अपने बयान से मुकर गए। अपने साक्ष्य में अभियोजन साक्षी-21 ने कहा कि दो व्यक्ति टीवीएस -50 पर आ रहे थे और पुलिस द्वारा रोके जाने पर, वे भागने लगे और उन व्यक्तियों का पीछा किया गया और पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और पुलिस ने उक्त वाहन के पेट्रोल टैंक पर रखे कवर से गहने बरामद किए। हालांकि अभियोजन साक्षी 21 और 22 ने दो व्यक्तियों और उक्त दोपहिया वाहन से गहने की बरामदगी के बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने आरोपी बशीर और शाजहां की पहचान नहीं की है। जैसा कि विचारण न्यायालय ने कहा है, अभियोजन पक्ष का मामला केवल इसलिए दूषित नहीं होता है क्योंकि आरोपी की पहचान के मामले में अभियोजन साक्षी 21 और 22 अपने बयान से मुकर गए हैं। जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा बताया गया है, अभियोजन साक्षी 21 और 22 के साक्ष्य को जांच अधिकारी (अभियोजन साक्षी -37) के साक्ष्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस बारे में बात की है की बशीर और शाजहां दोपहिया वाहन टीवीएस-50 पर आगे बढ़ रहे थे साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी और आभूषणों की बरामदगी के बारे में भी बात की। बशीर और शाजहां के पास से बरामद गहनों की पहचान भी साहूकारी दुकान के मालिक अभियोजन साक्षी-1 ने की थी। तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी 21 और 22 अपने बयान से मुकर गए, इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि डकैती के अपराध में बशीर और शाजहां की संलिप्तता थी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 में हत्या के साथ डकैती के लिए दण्ड निर्धारित की गई है। डकैती के दौरान, यदि कोई डकैत हत्या करता है, तो उसके सभी साथी जो डकैती कर रहे हैं, धारा 396 भादवि के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, हालांकि डकैती में भागीदारी के तथ्य से परे उनकी हत्या में कोई भागीदारी नहीं हो सकती है। दण्ड देने के मामले में न्यायालय का दायित्व

- "मृत्यु अथवा आजीवन कारावास" धारा 302 भादवि और 396 भादवि दोनों के लिए समान क्रम में है। यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 के अंतर्गत अपराध को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, तथापि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए न्यायालय के पास व्यापक विवेकाधिकार निहित है क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से कम दण्ड दिए जाने की संभावना है।

10. *दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य* (2006) 3 एससीसी 771 का संदर्भ ग्रहण करते हुए, उच्च न्यायालय ने विचार किया कि डकैती के दौरान हत्या को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। हमारा भी यही विचार है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 के अंतर्गत अपराध को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, विशेषकर जब डकैत हथियारों से लैस हों। लेकिन मामले में आरोपियों के पास हथियार नहीं थे। आरोपी बाबू @ नवाब साहब पर आरोप है कि उसने मृतक मुथुकृष्णन पर बैठकर उसकी नाक और मुंह दबाया और कथित तौर पर उसकी गर्दन को रस्सी से कस दिया। यह घटना वर्ष 2002 की है। लंबे समय बीत जाने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आजीवन कारावास की दण्ड को विचारण न्यायालय के निर्देशानुसार दस वर्ष में संशोधित किया जाता है।

11. भादवि की धारा 396 के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, अपीलकर्ताओं- बशीर, शाहजहां और बाबू @ नवाब साहिब पर लगाए गए कारावास की दण्ड को दस वर्ष के कारावास के रूप में संशोधित किया जाता है और अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। चूंकि अपीलकर्ताओं को दस वर्ष से अधिक समय तक अभिरक्षा में होना बताया गया है, इसलिए अपीलकर्ताओं को तुरंत अवमुक्त करने का आदेश दिया जाता है, यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय